निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
पीठासीन अधिकारी–रजनी मीणा ,आर.ए.एस0

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	GCMS NO.	निर्णय दिनांक
13/2024	प्रार्थना पत्र 212	22/02/2024	2024/584	21 .01.2026

अनवान

1. कंकुबाई पत्नि स्व. भुरा लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. कमलीबाई पुत्री स्व. भुरा लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
3. लक्ष्मीबाई पुत्री स्व. भुरा जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
4. भंवरलाल पुत्र स्व. भुरालाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
5. नारायण पुत्र स्व. भुरा लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
6. घीसुलाल पुत्र सव. भुरा लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
7. चांदमल पुत्र स्व. भुरा लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
8. शंकरलाल पुत्र शांतिलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
9. ललूराम पुत्र शांति लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

10. श्यामु पुत्री शांतिलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

11. दाखी बाई पत्नि स्व. शांतिलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

12. प्रेमबाई पुत्री स्व. शांतिलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

13. कलु बाई पुत्री स्व. शांतिलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

14. रतनी बाई पुत्री स्व. शांतिलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

15. कांति बाई पुत्री स्व. शांतिलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

16. मिट्ठुलाल पिता सीताराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

17. कालुराम पिता सीताराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

18. कैलाश पिता सीताराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

19. काली बाई पुत्री सीताराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

20. भगतवी बाई पुत्री सीताराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

21. संपत बाई पत्नि सीताराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

22. श्यामलाल पिता शांतिलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

.....प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

1. जीतमल पुत्र सोराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. पन्नालाल पुत्र सोराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
3. भगवती पुत्री सोराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
4. ल्हेरी पुत्री सोराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
5. रूकमणी बा पत्नि स्व. सोराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सरलाई तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
6. सरकार जरीये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.....विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत</u>
उपस्थित –श्री उदयलाल गाडरी वकील प्रार्थी
श्री प्रवीण जोशी वकील प्रतिवादी प्रति.संख्या 1, 2 5

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि

1. यह कि उक्त अनाद का एक वाद आज ही वादीगण ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो वाद पत्र प्रथम दृश्टया प्रामणित हो सुद्ध आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही वादीगण के पक्ष में स्वीकार होगा परन्तु जिसकी सुनवाई होकर निर्णय होने में समय लगेगा।

2. यह कि प्रार्थीगण की संयुक्त अध्याय की कृशि आराजयगा राजस्व ग्राम होडा पटवार हलका होडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कन्हौ जहसील भदेसर जिला चित्तोड़गढ़ में स्थित है –

खाता संख्या	क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
210	1	234	0.6500 हैक्टेयर
	2	259	0.7300 हैक्टेयर
	3	270	0.4100 हैक्टेयर
	4	271	0.4400 हैक्टेयर

5	275	0.3700 हैक्टेयर
6	276	0.3000 हैक्टेयर
7	279	0.1300 हैक्टेयर
कुल किता 07 कुल रकबा		3.0300 हैक्टेयर

3. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 से 05 एक ही परिवार के होकर मूल पुरूष कजोड के वारिसान हैं। कजोड जी के 4 पुत्र थे जिनमें क्रमशः सीताराम, सोराम, शांती लाल व भूरा लाल। प्रार्थी संख्या 01 से 07 भूरा लाल के वारिस हैं। प्रार्थी संख्या 08 से 15 शांतिलाल के वारिस हैं एवं वादी संख्या 16 से 21 सीताराम जी के वारिस हैं एवं विपक्षी संख्या 01 से 05 सोराम जी के वारिस हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजियात का कई वर्षों पूर्व सीताराम, सोराम, शांती लाल, भूरा लाल पिता कजोड के जीवनकाल में ही मौखिक बंटवारा होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे एवं उपयोग उपभोग में रखी गयी तभी से उक्त विवादित आराजियात पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर खेती करते चले आ रहे हैं व विपक्षी संख्या 01 से 05 अन्य जगह कृषि भूमि कब्जे में दी जिसको विपक्षी संख्या 01 से 05 ने अन्य व्यक्ति को विकय कर दी तथा विकय प्रतिफल विपक्षी संख्या 01 से 05 ने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार विपरीगण पन्ना लाल, जीतमल, पिता सोराम कुमावत ने दिनांक 14.06.2017 को इकारनामा बाबत आपसी समझौता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 के संबंध में लिखकर विपक्षीगण के पिता एवं विपक्षीगण द्वारा लिखकर दिया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजियात में विपक्षीगण का कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं है। उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण काबिज है। इस प्रकार का समझौता पत्र विपक्षीगण द्वारा निष्पादित कर दिया गया एवं केवल मात्र प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजियात में केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 01 से 05 का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से विपक्षी संख्या 01 से 05 का मौका पर कोई कब्जा उपयोग उपभोग नहीं है क्योंकि बंटवाडा अनुसार उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में आयी है। इस प्रकार विपक्षी कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में 1/4 हक हिस्से का दर्ज रह जाने से उसका नाजायज लाभ उठाकर अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण विवादित आराजीयात की खातेदारी की घोषणा कराने के

अधिकारी हैं जिससे यह वाद पत्र वाबत् कराये जाने खातेदारी घोषणा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

4. यह कि प्रार्थी संख्या 01 से 07 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 08 से 15 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 16 से 21 का 1/4 हिस्सा एवं विपरी संख्या 01 से 05 का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

5. यह कि विपरी संख्या 01 से 05 मात्र उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से विपरी संख्या 01 से 05 उक्त वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजयगा में उनके 1/4 हक व हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्ति को रहन, विकय हस्तान्तरण करने पर अमादा है। जिससे विपरी संख्या 01 से 05 को जुरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि विपरी संख्या 01 से 05 वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित उनके निहित 1/4 हक हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भांति रहन, वह हस्तान्तरण नहीं करे।

6. यह कि सुविधा सन्तुलन, प्रथम दृश्टया प्रकरण व अपूर्णनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में हैं।

7. यह कि यदि विपरीगण संख्या 01 से 05 को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जायेगा और प्रार्थीगण को अकथनीय व अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किसी प्रकार से संभव नहीं होगा।

8. यह कि प्रार्थना में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों के सही होने की पुष्टि में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

9. यह कि विपक्षीगण को इस प्रार्थना पत्र की सूचनार्थ एवं जवाबदेही हेतु नकल वाद पत्र मय समन व प्रोसेस के पेश है।

अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि

ताफैसला मूल वाद विपक्षीगण को इस आशय की अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीआत में विपक्षी संख्या 01 से 05 उनके 1/4 हक व हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्ति को रहन, विकय हस्तान्तरण नहीं करे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगा को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल जाट ने पावर पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया जो दिया गया। प्रार्थीगण की ओर से

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 05 की ओर से काउंटर क्लैम निम्नानुसार पेश है–

01. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–1 में वाद पत्र पेश करना स्वीकार है, शेष कथन अस्वीकार है। वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाया जावे।

02. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–02 में अंकित मौजा होड़ा पटवार हल्का होडा तहसील भदेसर में प्रार्थीगण और विपक्षीण की संयुक्त आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की भूमि जिसके खाता संख्या 210 क्रम संख्या 1 से 7 आराजी नम्बर 234, 259, 270, 271, 275, 273, 279 क्रमशः रकबा 0.65, 0.73, 0.41, 0.44, 0.37, 0.30, 0.13 हैक्टेयर, कुल किता 07 कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर भूमि अवस्थित होकर विपक्षीगण का 1/4 हिस्सा व कब्जा है।

03. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में अंकित कथन का जवाब इस प्रकार है कि कजोड जी चार पुत्र सीताराम, सोराम, शांतिलाल व भूरालाल थे। प्रार्थीगण 1 से 7 के भूरालाल के वारिस है। वादी संख्या 8 से 15 शांतिलाल के वारिस हैं। वादी संख्या 16 से 21 सीताराम के वारिस है व विपक्षी संख्या 1 से 5 सोराम के वारिस हैं बंटवाडा किया गया था उसमें चारों भाईयों सीताराम, सोराम, शांतिलाल व भूरालाल चारों का हक हिस्सा कब्जा व उपयोग उपभोग बराबर किया गया था जो बटवाडा आज तक हक हिस्से अनुसार काबिज है। जहां तक प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग की अंकित की गई है वह गलत, बनावटी व असत्य कथन होने से अस्वीकार है। विपक्षीगण का कब्जा काश्त हक हिस्सा भी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजीयात में प्रार्थीगण की तरह ही विपक्षीगण का हक हिस्सा व कब्जा है। जहां तक कथन है कि विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी यह कथना पूर्णतया बनावटी होकर अस्वीकार है और न ही इस प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई स्पष्टीकरण है और न ही विक्रय किसको किया, कब्जा का कोई अंकन नहीं है। इसलिए उक्त कथन पूर्णतया बनावटी होने से अस्वीकार है। विपक्षी पन्नालाल व जीतमल द्वारा जहाँ तक दिनांक 14.06.2017 को इकरारनामा बाबत् समझोता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 के संबंध में लिखकर विपक्षीगण के पिता व विपक्षीगण के पक्ष में दिया

का कथन है वह पूर्णतया गलत एवं बनावटी होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में स्थित आराजीयात में विपक्षीगण का 1/4 हक हिस्सा पूर्ववत है व यथावत रहेगा। प्रार्थीगण का काबिज होने का कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में यह कथन भी अंकित किया गया है कि समझोता पत्र विपक्षीगण द्वारा निष्पादित किया गया। समझोता पत्र जहां तक निष्पादित करने का प्रश्न है दोनों पक्षकारों को इसकी पालना करनी चाहिए। दोनों में से एक भी पक्षकार के द्वारा पालना नहीं करने पर उक्त समझौता अमान्य है, केवलमात्र विधि विरूद्ध अंकित एक कागज है जिसका कोई महत्व नहीं है। प्रार्थीगण अपनी अतिलालच भावना से विपक्षीगण का हक हिस्सा छीनना चाहते है जिसका कानूनन उनको कोई अधिकार नहीं है और न ही वो कभी इसके सफल होंगे। विपक्षी का प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में कब्जा व हक हिस्सा प्रर्ववत है जो यथावत रहेगा। यह कथन गलत है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में विवादित आराजीयात के कब्जे व उपयोग में हो बल्कि विपक्षीगण का भी प्रार्थीगण की तरह ही 1/4 हक हिस्सा व कब्जा है। विपक्षीगण अपने हक हिस्से व कब्जे को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग कर सकते हैं जिसमें प्रार्थीगण को कानूनन उनको रोकने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं हैं न ही होगा। प्रार्थीगण विपक्षीगण के हक हिस्से व कब्जे की भूमि को अपने नाम पर किसी भी विधिवत तरीके से अपने नाम पर घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

04. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–4 में अंकित कथन प्रार्थीगण 1 से 7 का 1/4, वादी संख्या 8 से 15 का 1/4, वादी संख्या 16 से 21 का 1/4 एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 का 1/4 हक हिससा व कब्जा रेकॉर्ड अनुसार सही है।

05. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–5 में अंकित कथन गलत व बनावटी होने से पूर्णतया अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 से 5 का राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर हक हिस्सा कब्जा सही है व उसका उपयोग कर रहे हैं। रहन विक्रय हस्तांतरण करने का कथन पूर्णतः गलत है। प्रार्थीगण 1 से 5 को विधि अनुसार किसी भी तरह अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। इस तरह प्रार्थीगण उपने हक हिस्से व कब्जे का उपयोग

उपभोग कर रहे हैं। उसी तरह विपक्षीगण भी अपने हक हिस्से कब्जे का उपयोग उपभोग करने के अधिकारी है। जब तक बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक सहखातेदार एक दूसरे के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराए जाने के अधिकारी नहीं है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

06. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–6 में वर्णित कथन अस्वीकार है। सुविधा संतुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण व अपूरणीय क्षति तीनों विपक्षीगण के पक्ष में है।

07. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। यदि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को अकथनीय व अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है।

08. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–8 व 9 समायत न्यायालय होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र भी प्रार्थीगण की गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में विपक्षी 1 से 5 का निहित हक हिस्सा व कब्जे की घोषणातमक डिक्री कराने के अधिकारी नहीं है एवं विपक्षीगण के खिलाफ किसी भी तरह अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय भारी हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

–: काउण्टर क्लैम :–

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत विपक्षीगण को समन नोटिस तामिल होने के बाद प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों की जानकारी होने से वाद कारण काउंटर क्लेम पैदा होकर निरंतर जारी है, जिसमें विपक्षीगण की ओर से निवेदन है :–

1. यह कि प्रार्थीगण द्वारा वो अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजीयात मौजा होड़ा पटवार हल्का होड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या

210 खसरा क्रम संख्या 1 से 7 आराजी नम्बर 234, 259, 270, 271, 275, 273, 279 क्रमशः रकबा 0.65, 0.73, 0.41, 0.44, 0.37, 0.30, 0.13, कुल किता 7 कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित किया है कि कजोड़ के चार पुत्र थे– सीताराम, शांतिलाल व भूरालाल है। प्रार्थीगण सीताराम, शांतिलाल भूरालाल के वारिस है एवं विपक्षीगण 1 से 5 सोराम के वारिसान है, यह कथन सत्य है। परन्तु जहाँ तक मौखिक बंटवाड़ा का प्रश्न है कि मौखिक बंटवाड़े का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं जहां तक विपक्षी 1 से 5 को अन्य जगह कृषि भूमि कब्जे में दे दी है उसके इस मौखिक कथन का कोई आधार नहीं है एवं उक्त कथन निराधार है। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, बक्षीस न्यायालय की डिक्री या ऐसा कोई न्यायालय का रजिस्टर्ड दस्तावेज जो सम्पति को ट्रांसफर करने का उचित माध्यम हो वह जब तक रेकॉर्ड पर विनियम जमीन बाबत विधि सम्मत दस्तावेज नहीं है तब तक कानूनन किसी खातेदार की सम्पत्ति हस्तांतरण नहीं हो सकती। प्लीडींग से बाहर कोई कथन बिना दस्तावेज के न्यायालय द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है, जिस तरह उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे हैं उसी तरह विपक्षीगण भी करते आ रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा जमीन कब्जे में दे दी है यह कथन पूर्णतः बनावटी होने से अस्वीकार है। विपक्षीगण पन्नालान, जीतमत पिता सोरसन कुमात ने दिनांक 15/06/2017 को इकरारनामा बाबत् समझोता किया ऐसा कोई कथन कानून की निगाह में मान्य नहीं है। जब तक इकरार से समझोता की दोनों पक्षों द्वारा पालना नहीं की जाती तब तक उकत इकरार व समझोता कतई कानून की निगाह में शून्य पेपर है। वैसे भी उक्त इकरार के संबंध में राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं हैं। राजस्व इकरार के संबंध में कोई भी कथन पालना कराने का क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय को है। कोई भी गलत इकरार व समझोता कानून से परे व विधि से विपरित हक हिस्से व कब्जे से विपरित कर दिया जाता है तो उस इकरार व समझोते को कोई तरजीह नहीं दी जाती है। इसी प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में इकरार व समझोते का कथन किया है वह पूर्णतया अमान्य एवं इसके आधार पर अधिकार अर्जित नहीं होने प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व किसी तरह की घोषणात्मक

आज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है और न ही सहखातेदार के विरूद्व अन्य सहखातेदार किसी भी तरह अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी प्राप्त करने के अधिकारी है।

2. यह कि विपक्षीगण की ओर से न्यायालय से निवेदन है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त हक हिस्से में किसी भी तरह की दखलअंदाजी नहीं करें, न करावें। विपक्षीगण को आए दिन लड़ाई झगड़ा कर मौके पर कब्जा बाबत् व उपयोग बाबत् विवाद नहीं करें। क्योंकि प्रार्थीगण विपक्षीगण को अपनी संख्या एवं अपने धन बल व प्रभाव से विवाद बनाए रखते हैं, इस हेतु इस आशय की प्रार्थीगण के खिलाफ और विपक्षीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से उक्त काउंटर क्लैम पेश है।

बरोज पेशी वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार हैः—

01. यह कि काउंटर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 का जवाब इस प्रकार है कि मौजा होडा तहसील भदेसर में स्थित आराजी नम्बर 234, 259, 270, 271, 275, 273, 279 कुल किता 07 कुल रकबा 3.3 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थीगण व विपक्षीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जो स्व. कजोड जी के समय की होकर प्रार्थीगण, विपक्षीगण स्व. कजोड जी के वारिस हैं तथा उक्त आराजीयात का मौखिक बंटवाडा अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं एवं मौंके पर आधिपत्य भी प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। विपक्षीगण का एक क्षण के लिए भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षीगण ने दिनांक 14.06.2017 को एक इकरारनामा आपसी समझौता प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में लिखकर दिया तथा उस समझौता इकरार में यह स्पष्ट उल्लेख किया कि उक्त आराजीयात पर हमारा कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार विवादित आराजीयात अकेले विपक्षीगण के कब्जे काश्त की है। जहां तक राजस्व रिकॉर्ड का प्रश्न है केवल मात्र विपक्षीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम होने से प्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं जिससे परेशान कर भूमि को खुर्द—बुर्द कर अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करना चाहते हैं तथा विपक्षीगण का जो राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है उस भूमि के एवज में

विपक्षीगण ने जो अन्य भूमि उनके कब्जे व उपयोग उपभोग में आयी है, उसे विक्रय कर विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार विपक्षीगण ने इस चरण में सारे तथ्य गलत बनावटी लिखे हैं केवल मात्र प्रार्थीगण को परेशान करना चाहते हैं।

02. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 का जवाब इस प्रकार है कि विपक्षीगण, प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी करते हैं जिससे प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की धारा 212 में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है कि विपक्षीगण, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें क्योंकि विपक्षीगण का एक क्षण के लिए भी कोई आधिपत्य नहीं रहा है। केवल मात्र भूमि की कीमतें बढ़ जाने से विपक्षीगण के मन में बदनियती होने से केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर भूमि को हस्तान्तरित करना चाहते हैं। विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यहां यह वर्णित करना उचित होगा कि जहां स्वामित्व एवं कब्जे का विवाद हो वहां न्यायालय को भी पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद पैदा न हो इसलिए मौका एवं रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने का आदेश किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि संपत्ति का सरंक्षण हो सके व पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद न हो।

03. यह कि चरण संख्या 03 विचारण न्यायालय है।

04. यह कि चरण संख्या 04 में विपक्षीगण को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है क्यांकि प्रार्थीगण ने सारे तथ्य छिपाकर स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये जिससे किसी प्रकार की दाद विपक्षीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि काउंटर जवाब स्वीकार फरमाया जावे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे ।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब कर विपक्षीगणों के सम्मन जारी किये गये जिसपर अप्रार्थी संख्या 01, 02, 05 की ओर से वकील श्री प्रवीण जोशी ने वकालतनामा पेश किया गया।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । लायक अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 सहखातेदार है तथा विवादित कृषि आराजीयात पैतृक संपत्ति है। उक्त भूमि का पारिवारिक बटवारा हो चुका है। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 का विवादित भूमि पर कोई वास्तविक कब्जा नहीं है तथा उन्होंने 14.06.2017 को आपसी समझौते द्वारा इस तथ्य का स्वीकार किया है कि उनका केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। केवल राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा दर्ज होने के आधार पर विपक्षीगण को भूमि के हस्तांतरण अथवा विक्रय का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है और अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के विक्रय/हस्तांतरण की आशंका से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है अतः सुविधा संतुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 को विवादित आराजीयात के संबंध में किसी भी प्रकार का विक्रय, हस्तांतरण अथवा परिवर्तन करने से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित है। वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

खण्डन में लायक अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 सहखातेदार है तथा विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के एकाधिकार कब्जे, विक्रय अथवा हस्तांतरण संबंधी आरोपों को असत्य, मनगढ़त एवं निराधार बताया गया है तथा यह कहा गया है कि दिनांक 14.06.2017 का कथित समझौता विधि अनुसार बाध्यकारी नहीं है। लायक अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी कहा कि केवल सहखातेदारी होने के आधार पर किसी सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा दिलाने का अधिकार नहीं है। विपक्षीगण के अनुसार सुविधा संतुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिंदु अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा यदि निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सभी सहखातेदार है। वर्तमान में भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, अतः प्रत्येक सहखातेदार अपने–अपने हिस्से के अनुपात में उपयोग–उपभोग का अधिकार रखता है।

प्रार्थीगण द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका है कि विपक्षीगण द्वारा विवादित आराजीयात पर कोई अवैध निर्माण, विक्रय अथवा हस्तांतरण किया जा रहा है, जिससे प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति होने की स्थिति उत्पन्न हो। मात्र संयुक्त खातेदारी के आधार पर किसी सहखातेदार को अन्य सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि सुविधा–संतुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित नहीं होते हैं। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षीगण के वैधानिक अधिकारों का हनन होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के अंतर्गत प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 21/01/2025 खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)

कंकुबाई बनाम जीतमल

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा RTA

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नम्बर 13/2024 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-01-2026	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07/01/026 को पेश हो।	
07-01-2026	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/01/026 को पेश हो।	
21-01-2026	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। खुले में सुनाया गया। पत्रावली नतीजा शुमार होकर नम्बर से कम हो।	